



Meticulous Investigation & Prosecution



BAGHPAT POLICE

विद्युत सामान चोरी करने वाले आरोपी मौ० आजाद व साहिल अंसारी को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 08 माह 27 दिन का कारावास व 100 रुपये अर्थदण्ड की सजा ।

अवगत कराना है कि वर्ष 2023 में अभियुक्तों मौहम्मद आजाद पुत्र अलीमुद्दीन कुरैशी निवासी मौहल्ला ऊंचा सद्दीक नगर थाना लिसाडी गेट जनपद मेरठ व साहिल अंसारी पुत्र कमरुद्दीन अंसारी निवासी भण्डारी डिह जनपद गिरडिह, झारखण्ड, हाल निवासीगण गांव लाला मौहम्मदपुर थाना कंकरखेडा जनपद मेरठ द्वारा विद्युत सामान ट्रांसफार्मर व तार आदि चोरी करने की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना बालैनी पर मु०अ०सं०- 66/23 धारा 482 भादवि पंजीकृत किया गया था । इस अभियोग में मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा० न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई । जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 14.02.2024 को मा० न्यायालय A.C.J. J.D. जनपद बागपत द्वारा अभियुक्तों मौ० आजाद व साहिल अंसारी को दोषी पाते हुए 08 माह 27 दिन के कारावास व 100 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है । बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा ।



@baghpatpolice



Baghpat police



baghpatpolice



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बड़ौत

दिनांक 14.02.2024

थाना कोतवाली बड़ौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 80/24 धारा 379 भादवि का सफल अनावरण करते हुए एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से चोरी की हुई 01 मोटरसाईकिल बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 13.02.2024 को थाना कोतवाली बड़ौत पर वादी पारस जैन पुत्र आतेश कुमार जैन निवासी पट्टी मेहर पंजाबी गुरुद्वारा कस्बा व थाना बड़ौत ने सूचना दी कि दिनांक 19.01.2024 को किसी अज्ञात चोर ने



वादी की मोटर साईकिल स्प्लेन्डर कलर ब्लैक नं0 UP-17-M-8308 को चोरी कर लिया है। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बड़ौत पर मु0अ0सं0 80/24 धारा 379 भादवि पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बड़ौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 80/24 धारा 379 भादवि का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। जिसके कब्जे से चोरी की हुई मोटरसाईकिल बरामद हुई है ।

उपरोक्त अभियोग में बरामदगी के आधार पर धारा 411 भादवि की वृद्धि कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

राजीव पुत्र माले निवासी बडौली कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- चोरी की हुई मोटरसाईकिल नं० UP-17-M-8308

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ०नि० श्री अशोक कुमार ।

2-है०का० 542 अशोक कुमार ।

3-का० 970 रोहित अत्री ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत

दिनांक 14.02.24

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 82/24 धारा 379/411 भादवि से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से चोरी किया हुआ इनवर्टर व एक बैटरा बरामद ।

संक्षिप्त विवरण/कार्यवाही -

दिनांक 13.02.2024 को वादी प्रियांशु पुत्र खिलारी निवासी ग्राम ट्यौढी थाना बडौत के घर से 02 व्यक्ति 01 इनवर्टर व 01 बैटरा चुराकर लेकर जा रहे थे वादी प्रियांशु व जनता के लोगों द्वारा अभियुक्त विपुल पुत्र नन्दकिशोर व मोहित उर्फ भूरा पुत्र यशपाल उर्फ लाला निवासी ग्राम ट्यौढी थाना बडौत को मय माल के पकडकर थाने लाया गया । थाना बडौत



पुलिस द्वारा दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया तथा चोरी किया हुआ 01 इनवर्टर व 01 बैटरा बरामद किया गया । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बडौत पर मु0अ0सं0 82/24 धारा 379/411 भादवि पंजीकृत किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1-विपुल पुत्र नन्दकिशोर निवासी ग्राम ट्यौढी थाना बडौत जनपद बागपत ।

2-मोहित उर्फ भूरा पुत्र यशपाल उर्फ लाला निवासी ग्राम ट्यौढी थाना बडौत जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- चोरी किया हुआ 01 इनवर्टर व 01 बैटरा ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-है0का0 576 इमरेश रावत थाना बडौत ।

2-का0 1013 गौरव थाना बडौत ।

3-एचजी 303 सिनोद कुमार ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत

दिनांक 14.02.2024

थाना बडौत पुलिस ने 03 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा 03 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्तों का नाम व पता-

1. बिट्टू पुत्र चरण सिंह निवासी पट्टी मोल्हू बावली थाना बडौत जनपद बागपत ।
2. देवा पुत्र ब्रह्मपाल निवासी पट्टी मोल्हू बावली थाना बडौत जनपद बागपत ।
3. विनोद कुमार पुत्र ईश्वर सिंह निवासी पट्टी खोब्बा महावतपुर बावली थाना बडौत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ०नि० श्री आशीष कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 2-है०का० 201 विशाल चौधरी थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 3-है०का० 226 धर्मन्द्र सिंह थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 4-का० 1059 पीयूष यादव थाना बडौत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना सिंघावली अहीर

दिनांक 14.02.2024

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने लूट की झूठी सूचना देने वाले 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण/कार्यवाही-

दिनांक 13.02.2024 को नौशाद पुत्र जुनैद अली निवासी ग्राम गौसपुर थाना सिंघावली अहीर ने डायल 112 पर सूचना दी कि उसके साथ डौला से गौसपुर जाने वाले रास्ते पर समय करीब 16.30 बजे 10-12 लडको ने 1,57,500 रुपय की लूट कर



ली है। उसके साथ उसका भतीजा समीर पुत्र दिलशाद निवासी गौसपुर भी है, इस सूचना पर क्षेत्राधिकारी नगर बागपत व थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर प्रकरण की जांच की गई। पुलिस द्वारा नौशाद व उसके भतीजे समीर से पूछताछ की गयी तो उन्होंने बताया कि गौसपुर वाले रास्ते पर कुछ लडको से उनकी कहासुनी हो गयी थी, तो उन्होंने सोचा कि अगर लूट की सूचना पुलिस को देंगे तो इन लडको पर बडा केस हो जायेगा। इसलिए डायल 112 पर लूट की झूठी सूचना दे दी थी। जांच से लूट की घटना झूठी पायी गयी।

उपरोक्त के सम्बन्ध में थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा लूट की झूठी सूचना देने वाले दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है

।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-नौशाद पुत्र जुनैद निवासी ग्राम गौसपुर थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 2-समीर पुत्र दिलशाद निवासी ग्राम गौसपुर थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

- 1.थानाध्यक्ष श्री जितेन्द्र कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 2.उ०नि० श्री अरविन्द कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 3.है०का० 439 कुलदीप सिंह थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
4. का० 479 कुलदीप शर्मा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना कोतवाली बागपत दिनांक 14.02.2024

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 112/2024 धारा
307/352/504/506 भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 13.02.234 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी संदीप पुत्र राजेन्द्र निवासी ग्राम सरूरपुरकला थाना कोतवाली ने सूचना दी कि अभियुक्तगण 1.राहुल पुत्र चमनसिंह, 2.गौतम पुत्र चमनसिंह व 3.परविन्द्र पुत्र चमन सिंह निवासीगण ग्राम सरूरपुरकलां थाना कोतवाली बागपत द्वारा वादी के साथ लाठी-डंडो, धारदार हथियार व तंमचे से लैस होकर गाली-गलौच करते हुए जान से मारने की नियत से हमला किया तथा जान से मारने की धमकी दी । इस सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थना

पत्र के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 112/24 धारा 307/352/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 112/24 धारा 307/352/504/506 भादवि में वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

परविन्द्र पुत्र चमनसिंह निवासी ग्राम सरूरपुरकलां थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।



गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ०नि० श्री महेशचन्द्र शर्मा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

2-का० 1038 अरविन्द कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत दिनांक 14.02.2024

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु०अ०सं० 912/2023 धारा 323/504/506/307 भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 01.12.23 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी सुन्दर पुत्र हरलाल निवासी ग्राम अहैडा थाना कोतवाली ने सूचना दी कि अभियुक्तगण 1.शुभम पुत्र राजाराम, 2.अनिल पुत्र राजाराम निवासीगण ग्राम अहैडा थाना कोतवाली बागपत व 04 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा लाठी-डंडे, धारदार हथियार व तमंचे से लैस होकर वादी के भतीजे निककी उर्फ विजयपाल पुत्र सुभाषचन्द्र के साथ गाली-गलौच करते हुए मारपीट की तथा जान से मारने की नियत से तमंचे से फायर किया जिससे वादी का भतीजा गंभीर रूप से घायल हो गया। इस सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु०अ०सं० 912/23 धारा 147/148/149/323/504/307 भादवि पंजीकृत किया गया था।



नोट:- उपरोक्त अभियोग में विवेचना के दौरान धारा 147/148/149 भादवि का विलोपन कर धारा 506 भादवि की वृद्धि की गयी।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 912/23 धारा 323/504/506/307 भादवि में वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

शुभम पुत्र राजाराम निवासी ग्राम अहैडा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री कैलाशचन्द्र थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
- 2-है0का0 491 रामकुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
- 3-का0 44 संजीव कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।